

पालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-बास, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

शुबा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
17/12	26.12.12	25.8.21
	उनवान	

1. प्यारीबाई बेवा खेडुमल (मृतक)
2. सुन्दरलाल पुत्र खेडुमल
3. प्रीतमदास-मृतक
- 3/1-चन्द्रा देवी पत्नी प्रीतमदास
- 3/2-नरेश पुत्र प्रीतमदास
- 3/3-संदीप पुत्र प्रीतमदास जाति सिन्धी निवासी किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
- 3/4-कविता उर्फ भावना पुत्री प्रीतमदास पत्नी मोहनलाल जाति सिन्धी निवासी हाल रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
- 3/5-पायल पुत्री प्रीतमदास पत्नी हीरालाल जाति सिन्धी निवासी हाल नन्दूरबार महाराष्ट्र
4. दशरथ उर्फ जयराम
5. राजकुमार मिता श्री खेडुमल (सिन्धी)
6. दयादेवी बेवा वीरुमल
7. रीता पुत्री वीरुमल
8. संतीश कुमार
9. गुलशन कुमार- मृतक
- 9/1-प्रिया देवी पत्नि गुलशन कुमार जाति सिन्धी निवासी किशनगढबास
- 9/2-शलखा बतरा पुत्री गुलशन कुमार पत्नी गौरव जाति सिन्धी निवासी नरेला दिल्ली
- 9/3-नेहा पुत्र गुलशन कुमार
- 9/4-ज्योति पुत्री गुलशन कुमार
- 9/5-सिमरन पुत्री गुलशन कुमार नाबालिक जाति सिन्धी निवासी किशनगढबास जिला अलवर
9. मुकेश कुमार पिता वीरुमल खत्री (सिन्धी)
10. श्रीचन्द पुत्र गोपाल दास
12. सहित बाई बेवा रमेश चन्द खुद
13. शालू पुत्री रमेशचन्द
14. दिप्ती पुत्री रमेश चन्द नाबालिगान जयनेवस्ट फेडवली सरपरस्त माता खुद सहितबाई बेवा रमेश चन्द जाति सिन्धी निवासीयान किशनगढबास तहसील किशनगढबास।
- 15-शशिबाई पुत्री खेडुमल खत्री हाल निवासी शिवाजी पार्क अलवर।

:-वादीगण:-

सत्यप्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

:-बनाम:-

हरीराम पुत्र गोपीराम -मृतक

1/1-चोखराम पुत्र हरिराम

1/2-सुरेश पुत्र हरिराम

1/3-मनोज पुत्र हरिराम

1/4-सोनु पुत्र हरिराम जाति माली निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर

2.जगदीश पुत्र रूपनारायण पोत्र गोपीराम

3.जसवन्त पुत्र हरबक्स

4.सतीश कुमार पुत्र हरबक्स पोत्र गोपीराम कोम मालियान निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

5.राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार (लेण्ड होल्डर)किशनगढबास जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण:-

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट)

उपस्थिति:-1.श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।

2.मुकेश सैनी वकील प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिकी

वादी वादीगण बहक विरुद्ध प्रतिवादीगण बरुये राजीनामा डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0 न0 295 रकबा 0.24हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अमल प्रतिवादी सं0 1लगा0 4 के पिता वो दादा मृतक गोपीराम, पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम का जो इन्द्राज शिकमी साल 15 हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदसीमुझर ही बाद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादी स्वयं बहन करेनै पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय अलग से टंकित कराया, जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारन)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

आवेदक का नाम एवं पता 24 मुकेश सैनी
आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक 21/12/2024
प्रतिनिधि के पता का दिनांक 10/12/2024
प्रतिनिधि के पता का दिनांक 10/12/2024
प्रतिनिधि के पता का दिनांक 1/12/2024

सत्यप्रतिनिधि

सत्यप्रतिनिधि

द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बांस जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस, किशनगढ़बास

दावा नं.	प्रवेश तिथि.	निर्णय तिथि
317/12	26.12.12	25.8.21
	उनवान	

1. प्यारीबाई बेवा खेडुमल (मृतक)
2. सुन्दरलाल पुत्र खेडुमल
3. प्रीतमदास-मृतक
- 3/1-चन्द्रा देवी पत्नी प्रीतमदास
- 3/2-नरेश पुत्र प्रीतमदास
- 3/3-संदीप पुत्र प्रीतमदास जाति सिन्धी निवासी किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान
- 3/4-कविता उर्फ भावना पुत्री प्रीतमदास पत्नी मोहनलाल जाति सिन्धी निवासी हाल रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
- 3/5-पायल पुत्री प्रीतमदास पत्नी हीरालाल जाति सिन्धी निवासी हाल नन्दूरबार महाराष्ट्र
4. दशरथ उर्फ जयराम
5. राजकुमार पिता श्री खेडुमल (सिन्धी)
6. दयादेवी बेवा वीरूमल
7. रीता पुत्री वीरूमल
8. सतीश कुमार
9. गुलशन कुमार- मृतक
- 9/1-प्रिया देवी पत्नि गुलशन कुमार जाति सिन्धी निवासी किशनगढ़बास
- 9/2-शालखा बतरा पुत्री गुलशन कुमार, पत्नी गौरव जाति सिन्धी निवासी नरेला दिल्ली
- 9/3-नेहा पुत्र गुलशन कुमार
- 9/4-ज्योति पुत्री गुलशन कुमार
- 9/5-सिमरन पुत्री गुलशन कुमार नाबालिक जाति सिन्धी निवासी किशनगढ़बास जिला अलवर
9. मुकेश कुमार पिता वीरूमल खत्री (सिन्धी)
10. श्रीचन्द्र पुत्र गोपाल दास
12. सहित बाई बेवा रमेश चन्द खुद
13. शालू पुत्री रमेशचन्द
14. दिप्ती पुत्री रमेश चन्द नाबालिगान जयें नेवस्ट फेडवली सरपरस्त माता खुद सहितबाई बेवा रमेश चन्द जाति सिन्धी निवासीयान किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास।
- 15-शशिबाई पुत्री खेडुमल खत्री हाल निवासी शिवाजी पार्क अलवर।

:-वादीगण:-

सत्यप्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

:-बनाम:-

1.हरीराम पुत्र गोपीराम -मृतक

1/1-चोखराम पुत्र हरिराम

2-सुरेश पुत्र हरिराम

1/3-मनोज पुत्र हरिराम

1/4-सोनु पुत्र हरिराम जाति माली निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर

2.जगदीश पुत्र रूपनारायण पोत्र गोपीराम

3.जसवन्त पुत्र हरबक्स

4.सतीश कुमार पुत्र हरबक्स पोत्र गोपीराम कोम मालियान निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

5.राजस्थान सरकार जय्ये श्रीमान तहसीलदार (लेण्ड होल्डर)किशनगढबास जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण:-

(दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट).

उपस्थिति:-1.श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।

2.भुकेश सैनी वकील प्रतिवादी की ओर से।

:-निर्णय:-

25.8.251

पत्रावली पेश हुई। दावे में सुक्ष्म वृत्तान्त निम्न प्रकार से है:-
वादी ने वाद पेश किया कि आ०ख०न० 295/0.24 है० चाही जाद अलिफ मिन वादीगण कि तन्हा अलोट शुद्धा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें 10/19 हिस्सा वादीगण 1लगा० 10 कर वो 9/19 हिस्सा वादीगण सं० 11 लगा० 15 का सम्भाग का है जो आराजी विवादित कहलायेगी। खातेदार रमेशचन्द पुत्र गोपालमल कौम सिन्धी(खत्री) फौत हो चुका है जिसके कि विधिक वारिसान उसकी बैवा मु०सहितबाई वो पुत्रीयान शालु, दिप्ती है। दीगर कोई वारिसान नही है। खातेदार वीरूमल का स्वर्गवास दिनांक 3.7.2010 को हो गया है। जिसके विधिक वारिसान 6लगा० 10 है। उपरोक्त आराजी विवादित से प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 4 या उनके दादा पिता गोपी का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही रहा, ना कब्जा रहा, बल्कि प्रति० 1लगा० 4 के पिता वो दादा गोपी पुत्र चुन्ना माली ने आराजी उक्त को संवत 2030 के लगभग एक साल बटाई चारा पर काश्त किया था और अवधि पूर्ण होने पर आराजी को छोड दिया, कब्जा आराजी मिन वादीगण के पिताजी गोपालमल वा खेडूमल को सोप दिया था। जो उक्त आराजी के अलोटी थे। जिनके मरने पर मिन वादीगण वो दखील चले आ रहे है। आराजी विवादित की कीमत, कर्जा, तमाम वादीगण के पिताओ गोपालमल वो खेडूमल द्वारा जमा कोष कराकर सन्द पटटा जारी करायें हुये है। खातेदारी का अंकन हो रहा है। किन्तु मुतनाजा आराजी पर भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियो वो अधिकारीयो ने खिलाफ मौका कब्जा के आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण 1लगा०4 के पिता वो दादा गोपी पुत्र चुन्ना माली के नाम का अंकन राजस्व पत्रादि में शिकर्मी साल 15 गलत प्रकार से दर्ज कर दिया, जिस इन्द्राज की ताहाल जमाबन्दीयों में पुर्नावृति होती आ रही हैं। जो इन्द्राज हजफ होने योग्य है। काबिल दुररुस्ती है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण निम्न डिकी फरमाया जावे:-

(अ)-डिकी इश्तकरारहक मय दुररुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण वो उनके पिता मृतक खेडूमल, मृतक गोपालमल आराजी मुतनाजा के अलोटी खातेदारान काबिज वो काश्त रहे हे एवं आज भी मौके पर वादीगण हिस्सानुसार कब्जा है। प्रतिवादीगण सं० 1लगा० 4 के

सत्यप्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ.बास (अलवर)

पिता वो दादा मृतक गोपी पुत्र चुन्ना माली के नाम का जो इन्द्राज को कलमजन कराया जाकर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारान काबिज कास्तकारान घोषित किया जाकर डिकी दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जावे। एवं उप कृषक साल 15 कलमजन किया जावे।

(ब)-दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा उपरान्त प्रतिवादी द्वारा काउटर क्लेम पेश किया की मिन प्रतिवादी की ओर से पेश इकबाल जवाब दावा की जांच करायी जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की जावे। जवाब प्रार्थना पत्र पत्राबली में अगामी तारीख पेशी नियत की गई। जवाब प्राप्त नहीं हुआ चुकी चालू प्रकिया में उभय पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया। राजीनामे में अंकन किया है कि उक्त मुकदमा में हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार है:-

यह है कि आराजी ख0न0 295/0.24 हे0 चाही अलिफ बाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास हम वादीगण की तन्हा अलोटशुद्धा खातेदारी कब्जा कास्त की आराजी है, जिसमें से 10/19 हिस्सा वादीगण 1 लगा0 10 की वो 9/19 वो 3 हिस्सा वादीगण संख्या 11 लगा0 15 की हिस्सा है उक्त आराजी से हम प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गोपी पुत्र चुन्ना जातिमाली निवासी गंज के उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 से कोई लेना देना नहीं है उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 पर वादीगण की ही कब्जा कास्त है उक्त आराजी वादीगण के पिताजी गोपालमल वा खेडुमल को अलोट हुई थी। बाद फोटगी गोपालमल वा खेडुमल के उक्त आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 के अब हम वादीगण की कब्जे कास्त खातेदार है। जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के पिता वो दादा मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम जो इन्द्राजशिकमी साल 15 का दर्ज हो रहा है वो खिलाफ कानून वो खिलाफ मोक़ा है उक्त गलत इन्द्राज शिकमी साल 15 को कलमजन कर दिया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अब उक्त आराजी से हम प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के दादा गोपाराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली का कोई लेना देना नहीं रहा है। आराजी ख0न0 295 रकबा 0.24 हे0 बाके ग्राम किशनगढबास का एक मुश्त समस्त बीस लाख रुपये हम वादीगण से प्रतिवादी संख्या 1 के बारिसान चोखराम, सुरेश, मनोज, सोनु पुत्रान हरिराम ने वो प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 स्वयं ने प्राप्त कर ली है कोई रकम बकाया नहीं है। उक्त वाद का निस्तारण बरुये राजीनामा वाद डिकी फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई वाद में अंकित राजीनामा के लथ्यो को दोहराते हुये। उक्त वाद में पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो गया है जिसके आधार पर विवादित आराजी पर मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम जो इन्द्राज शिकमी साल 15 हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारान काबिज कास्तकारान घोषित किया जाकर डिकी दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जावे।

सत्यप्रतिलिपि

रीटि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अनवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अनवर)

आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक विरुद्ध प्रतिवादीगण बरुये राजीनामा डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0 न0 295 रकबा 0.24हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अमल प्रतिवादी सं0 1लगा0 4 के पिता वो दादा मृतक गोपीराम पुत्र चुन्नाराम जाति माली के नाम का जो इन्द्राज शिकमी साल 15 हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही वाद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगें पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैंसल शुमार ,होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय अलग से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किसनगढ़बास(अलवर)

सत्यप्रतिबिम्बि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किसनगढ़बास (अलवर)

आवेदक का नाम मय पता... श्री मुकेश बत्रा
आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक... 318/9-9-2024
प्रतिलिपि तैयारी दिनांक... 10-9-2024
प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक... 10-9-2024
प्रतिलिपि शुल्क राशि... 8/-